International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746; Impact Factor: RJIF 5.34
Received: 05-09-2020; Accepted: 20-09-2020; Published: 06-10-2020
www.alleducationjournal.com
Volume 5; Issue 5; 2020; Page No. 65-67

लैंगिक संवेदनशीलता एवं महिला सुरक्षाः दशा एवं दिशा

प्रतिमा सिंह
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
अपनी अस्मिता व आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पुरुषवादी समाज के सामने महिलाएं अपने वजूद की तलाश कर रही हैं, उसकी यह खोज सदियों से चलती चली आ रही है। वह मां, बेटी, बहन, पत्नी की विभिन्न भावनात्मक बंदिशों से पृथक एक स्त्री के रूप में अपनी पहचान की तलाश कर रही है। आत्म सम्मान को पाने के लिए जब महिलाएं संगठित हुईं तो उनके संघर्ष की कहानी का एक नया इतिहास रचा जाने लगा, महिलाओं की इन संघर्षमयी प्रयासों ने ही पुरुषवादी समाज को महिला सशक्तिकरण हेतु विवश किया, उनके प्रति होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध उन्हें कानूनी संरक्षण दिया गया है। इन प्रयासों के द्वारा महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने की व्यवस्था तो की गई लेकिन उस आधार को पीछे छोड़ दिया गया जहां से समाज बनता है अर्थात् परिवार को एक घर में बदलता है, परिवर्तित करता है साथ ही इस घर में महिला को महिला होने का बोध कराने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। विभिन्न कानूनी प्रयासों के बावजूद ना जाने क्यों महिला और हिंसा का साथ शरीर और उसकी छाया जैसे हैं जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते अर्थात आज भी घर की चहारदीवारी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा एक ऐसी परिस्थिति है, जिसमें एक व्यक्ति भयमुक्त व संकोच रहित रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और गरिमामय जीवन जी सकें। लेकिन दुनिया की आधी आबादी यानी 'महिलाएं' आज भी इस भय से मुक्त नहीं हो पायी हैं चाहे बात घर की हो या बाहर की अथवा कार्यस्थल की। आज महिलाएं हर जगह असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। भारत महिलाओं को भयमुक्त सहज जीवन जीने की परिस्थितियां उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।

मूल शब्दः संवेदनशीलता, सुरक्षा, उपभोक्तावादी, मानवता, गरिमामय जीवन आदि

प्रस्तावना
भूतवूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था ''एक बार एक फ्रांसीसी ने लिखा था कि किसी देश की स्थिति नापने का सबसे अच्छा उपाय यह पता लगाना है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी है, यदि है तो यह माना जा सकता है कि उस देश की स्थिति भी अच्छी है।''[1] भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वे उपाधियों के परे हैं। स्त्री को मानवीय गरिमा प्रदान करने की वकालत नारीवादी चिंतक करते हैं परंतु हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में तो उन्हें देवी, अप्सरा तो कहा गया मगर उन्हें मानव होने की गरिमा नहीं दी गई। युनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महल में सशस्त्र महिलाएं भी अंगरक्षक के रूप में तैनात थीं इसके साथ–साथ कौटिल्य ने भी अपनी सुप्रसिद्ध कृति ''अर्थशास्त्र'' में तीर कमान से लैस महिला सैनिकों का उल्लेख किया है।

आज 'महिला सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय' की स्थापना से जुड़े अनेक कानून होने के बाद भी 'महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था' पर एक बड़ा सवालिया निशान है। प्रारम्भ से ही महिलाओं पर संस्कार एवं शालीनता का आवरण डाल दिया गया है; उन्हें एक अलग सामाजिक पहचान दी गई है। संवैधानिक और कानूनी रूप से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े अनेक बड़े–बड़े प्रावधान किये गये किन्तु ये प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से वास्तविक धरातल से कहीं अधिक दूर रहे हैं। इस संदर्भ में जहाँ एक तरफ सार्वजनिक स्थलों व कार्य–स्थलों पर लैंगिक शोषण, बलात्कार, बलात्कार एवं हत्या के मामलों में वृद्धि देखी गई है तो वहीं दूसरी तरफ न्यायिक प्रक्रिया में सुस्ती भी महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न रहा है।

महिलाओं के प्रति हिंसा के प्रकार
वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं के प्रति हिंसा को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं,[2] यथा–

- आपराधिक हिंसा– अपहरण, बलात्कार एवं हत्या
- घरेलू हिंसा– दहेज, दहेज संबंधी हत्या आदि
- सामाजिक हिंसा– महिलाओं से छेड़छाड़, स्त्री को संपत्ति में हिस्सा ना देना, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न व लैंगिक शोषण आदि।

कानूनी और विधिक रूप से 'महिला सुरक्षा व महिलाओं के प्रति हिंसा' की अवधारणा बहुत विस्तृत है। भारत में महिला सुरक्षा हमेशा से चिंता का विषय रहा है और समय–समय पर महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराध मानवता को निरन्तर झकझोरता रहा है। बीते दिनों हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों में हुई वारदातें महिला सुरक्षा पर चर्चा के दायरे को और अधिक विस्तृत कर रही हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, घरेलू हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न,

[1]. संगीता पाण्डेय एवं तेजस्कर पाण्डेयः भारत में सामाजिक समस्यायें, मैक्ग्रा हिल पब्लिकेशन, 2012, पृष्ठ संख्या– 327.

[2]. अहूजा, रामः महिलाओं के प्रति अपराध, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1996, पृष्ठ संख्या– 223.

स्टॉकिंग, एसिड अटैक, ब्लात्कार, ब्लात्कार एवं हत्या आदि जैसे अपराधों में निरन्तर बढ़ोतरी हुई है। हकीकत तो यह है कि एक बड़ा हिस्सा शिकायत भी दर्ज भी नहीं करा पाता।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति : सम्बन्धित आंकड़े

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास सम्बन्धी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 'किसी भी समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध नहीं है' तो वहीं विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2019 की स्त्री–पुरुष समानता सम्बन्धित सूचकांक में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा है जबकि भारत का वर्ष 2018 में 108वां स्थान तथा वर्ष 2006 में 98वां स्थान प्राप्त था।[3] ध्यातव्य है कि यह सूचकांक वर्ष 2006 में प्रारम्भ किया गया था। यह आंकड़ा महिला पुरुष समानता तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत की खराब होती स्थिति तथा बढ़ते हुए फासलों को प्रदर्शित करता है। ध्यातव्य है कि इस सूचकांक के अंतर्गत आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण एवं शैक्षणिक उपलब्धियां जैसे महत्वपूर्ण घटक सम्मिलित हैं। वर्ष 2019 के आंकड़ों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भारत 'स्वास्थ्य' तथा 'आर्थिक भागीदारी' जैसे महत्वपूर्ण घटकों में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में अंतिम 5 देशों में सम्मिलित है।[4] एक आंकड़े के अनुसार 'निर्भया काण्ड' के उपरांत बलात्कार व सामूहिक बलात्कार के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि हमारे सामाजिक संस्कारों में कोई विशेष सुधार नजर नहीं आता।[5] आज भी राह चलती अकेली औरत के प्रति एक संकीर्ण नजरिया देखने को मिलता है, जो कि हमारे समाज एवं हमारी संस्कृति पर काले धब्बे के समान है। आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 35,000 बलात्कार के मामले *'पंजीकृत'* होते हैं, जिनमें से दो–तिहाई से अधिक मामलों में आरोपी शक के आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से छूट जाते हैं,[6] वहीं अगर मामला किसी 'हाई प्रोफाइल' से जुड़ा हो तो छूटने की संभावना कहीं अधिक होती है। एन0सी0आर0बी0 की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के कुल 38,947 मामले सामने आए। विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार भारत में हर एक मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। घटनाओं का अध्ययन यह बताता है कि यौन अपराधों में 27 प्रतिशत मामले तो पड़ोसियो द्वारा, 22 प्रतिशत ऐसे मामले हैं जिनमें शादी के नाम पर झांसा देने एवं यौन शोषण तथा 9 प्रतिशत मामलों में तो घर के सदस्यों द्वारा यौन शोषण किया जाता रहा है। इस संदर्भ में 'पॉस्को कानून' के अंतर्गत 1,60,990 से अधिक मामलों का लंबित होना भी महिला सुरक्षा व सामाजिक न्याय की दृष्टि से चिंताजनक है।

महिलाओं के प्रति हिंसा के उत्तरदायी कारक

महिला सुरक्षा व संवेदनशीलता सम्बन्धी जिम्मेदार कारकों में कानूनी, राजनीति, व प्रशासनिक शिथिलता तो शामिल है लेकिन ज्यादा हानिकारक कारण नैतिक और सामाजिक संरचना है। पुरुषवादी मानसिकता सदैव से हावी रही है। जैसा कि ऐंजिल्स 'परिवार, सम्पत्ति व राज्य की उत्पत्ति' स्त्री पराधीनता का आधारभूत कारक मानता था। आज हम भले ही आधुनिक युग में रह रहे हों, देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव व्यापक रूप से देखने को मिलता रहा है। लेकिन समाज के पितृसत्तात्मक अवधारणा में कोई बदलाव नजर नहीं आता है। साथ ही महिलाओं को कमजोर बनाने में उसके परजीवी होने के साथ–साथ समाज की आचार संहिता इन भी उत्तरदायी रही है। महिलाओं के खुद के प्रयासों और वक्त की मांग के कारण आज भले ही वे घर के बाहर काम कर रही हैं लेकिन उनके प्रति पुरुष वर्ग की सोच में कोई खास बदलाव नहीं आया है। विडम्बना यह है कि भारतीय पुरुष वर्ग अब भी औरतों को परंपरागत काम करते हुए देखने के आदी हैं। उन्हें बुद्धिमान औरतों की संगत तो चाहिए होती है लेकिन शादी के लिए नहीं। एक सशक्त महिला की कद्र करना उन्हें अब भी नहीं आया। जैसा कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है कि 'मनुष्य ने आकाश में उड़ना सीख लिया समुद्र में तैरने भी लगा है लेकिन धरती पर ठीक से चलना नहीं सीखा।'[7] व्यावहारिक रूप से देखें तो अधिकतर दुष्कर्म मामलों में पीड़िता के ही दोष खोजने लगते हैं, उनके कपड़े पर प्रश्न उठातें रहे हैं, देर रात बाहर निकलने पर, पुरुष मित्रों के होने के कारण उनके चरित्र पर ही आवाज उठाते हैं। महिलाओं के प्रति अच्छा नजरिया विकसित किए जाने की राह में ष्ड्रइरमबजपपिबंजपवद व ॅवउमदष यानी कि महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया जाना, उपभोक्तावादी व भौतिकवादी समाज में अपने उत्पाद को बेचने और प्रमोट करने के लिए कंपनियां नैतिकता के मापदंडों के परे विज्ञापन बनाते हैं। स्थिति यह है कि भारत अश्लील साइट विजिट करने वाले अग्रणी देशों में शुमार है। भारतीय समाज की पुरुषवादी मानसिकता का एक अन्य उदाहरण यह है कि विवाह के बाद पुरुष महिला के शरीर पर अपना अधिकार समझता है। आज नैतिकता के मापदंड पर मीडिया का पक्ष भी उजागर हो रहा है। इसके अतिरिक्त कानूनों का कमजोर होना, उसके क्रियान्वयन में कमी, राजनीति से जुड़े लोगों की अनियंत्रित बयानबाजी, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति आदि महिला सुरक्षा को जग जाहिर करती हैं। महिला सुरक्षा के सन्दर्भ में इन कमियों में पुलिस की लापरवाही व शिथिलता, दुर्व्यवहार और कभी–कभी किसी मामले को गंभीरता से ना लिया जाना भी शामिल है। इन लापरवाही के कारण अपराधी का बचकर निकल जाना, सबूतों का मिट जाना या मिटा दिया जाना, अपराधी की पहचान ना हो पाने जैसी घटनाओं से पीड़िता को न्याय मिलने में समस्या आती रही है। इसके प्रमुख कारणों में पारिवारिक दबाव, लोक लाज का भय, थाने पर पहुंच पाना, जान का खतरा व सामाजिक दबाव, पुलिसिंग व्यवस्था की लापरवाही व शिथिलता का होना आदि महत्वपूर्ण है।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु विधिक प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग–III (मौलिक अधिकार) एवं भाग– IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सामाजिक न्याय के मध्म सुखद समन्वय स्थापित करने किया गया है। भारतीय संविधान के भाग–III (मौलिक अधिकार) के अन्तर्गत महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत निहित 'निजता के अधिकार' तथा भारतीय संविधान के अन्य विभिन्न प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 32 जबकि भारतीय संविधान के भाग–IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक–आर्थिक अधिकारों के माध्यम से लैंगिक संवेदनशीलता व महिला सुरक्षा की अवधारणा को अधिक सशक्त बनाने का प्रयत्न किया गया है। जैसा कि संविधान में उपबन्धित है– काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार (अनुच्छेद–41), काम की यथोचित व मानवोचित दशा व प्रसूति सहायता का प्रावधान (अनुच्छेद–42), श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी (अनुच्छेद–43), नागरिको ं के लिए समान सिविल संहिता (अनुच्छेद–44) आदि के साथ–साथ

3. m.businesstoday.in, 18 December 2019, 11:35 A.M.

4- m.businesstoday.in, 18 December 2019, 11:35 A.M.

5 प्रभुनाथ शुक्लः महिला सुरक्षा का सवाल, जनसत्ता, 8 दिसम्बर 2019, पुष्ठ संख्या 07.

6. प्रभुनाथ शुक्लः महिला सुरक्षा का सवाल, जनसत्ता, 8 दिसम्बर 2019, पुष्ठ संख्या 07.

7. संगीता पाण्डेय एवं तेजस्कर पाण्डेयः भारत में सामाजिक समस्यायें, मैक्ग्रा हिल पब्लिकेशन, 2012, पृष्ठ संख्या– 125.

अन्य विभिन्न कानून जैसे 'मातृत्व अवकाश अधिनियम', विभिन्न चिकित्सा सुविधा, गर्भावस्था के दौरान बर्खास्तगी के खिलाफ संरक्षण, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम–1955, अनैतिक व्यापार की के शिकार महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, सुमंगला योजना, निर्भया कोष की स्थापना, तीन तलाक पर कानून आदि कदम विशेष महत्वपूर्ण हैं।

सुझाव

वर्तमान परिस्थितियों में त्वरित एवं गतिशील न्यायिक प्रक्रिया, पीड़िता की सुरक्षा, 'सख्त पुलिसिंग व पेट्रोलिंग', सामाजिक परिवर्तन, समाज के भेदभावपूर्ण व संकीर्ण नजरिए में बदलाव, स्पष्ट एवं कड़े कानून तथा उनका स्वस्थ कार्यान्वयन आदि के साथ–साथ 'लैंगिक सहिष्णुता', 'लैंगिक न्याय', 'स्त्री विमर्श' आदि विषयों को स्कूली पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। सुधारों की राह में महत्वपूर्ण कड़ी है पुरुषवादी मानसिकता को बदला जाना, साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता विकसित करना भी जरूरी है। जैसा कि भारत में लैंगिक भेदभाव जन्म से ही शुरू हो जाता है। अतः समाज में संवेदनशीलता लाना, बच्चों को बाहर और घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना की शिक्षा देना, लड़का हो या लड़की पारिवारिक स्तर पर दोनो को समान मूल्य सिखाये जाने की आवश्यकता है। विद्यालय स्तर पर मूल्य संवर्धन हेतु अनेक कदम उठाये जाने की जरूरत है, लागों के प्रति आदर भावना जगृत करने, फॉस्ट ट्रैक अदालत का अधिक सशक्त बनाने, स्मार्ट व सोशल पुलिसिंग व्यवस्था, कानून की उचित व त्वरित क्रियान्वयन, न्यायिक प्रकिया में सुधार, सख्त कानून व कठोर दंड के प्रावधान आदि जैसे सुधार की प्रबल आवश्यकता है।

संक्षेप में कहें तो स्त्री न तो गुलाम रहना चाहती है और न ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है, स्त्री चाहती है बस मानवाधिकार,[8] अतः उसे एक मानव होने के कारण सम्पूर्ण मानवाधिकार मिलना चाहिए। इस सन्दर्भ में भारत सरकार व प्रदेश सरकार दोनों प्रयत्नशील हैं।

निष्कर्ष

आधुनिक भारत में जहां महिलाएं दिन–प्रतिदिन अपनी लगन, मेहनत एवं सराहनीय कार्यों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। मौजूदा दौर में महिलाएं नये भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं तो वहीं दूसरी ओर आज भी कई जगह महिलाएं पुरुष प्रधान रूढ़िवादी समाज की परम्परा का बोझ उठा रही हैं। कारण साफ है, समाज की संकुचित व परम्परागत मानसिकता। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अथवा प्राकृतिक अन्तर के बजाए सामाजिक व सांस्कृतिक अंतर को जब तक जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाएगा तब तक सही मायनों में महिलाओं को आजादी नहीं मिल सकेगी। महिला पुरुष के बीच व्यवहार में अंतर पूरी तरह से सामाजिक परंपरा पर निर्भर करता है जबकि ऐसा विभेद उचित नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सच तो यह है कि केवल औरत ही नही बल्कि मर्द भी समाज द्वारा ही बनाये जाते हैं अर्थात् 'जेण्डर' हमारे जीवन में महत्वपूर्ण तो है किन्तु यही सब कुछ नहीं है, यह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा मात्र है। आज की भद्दी हकीकत यह है कि आबादी के एक बड़े हिस्से के दिमाग में औरत का मतलब कामुकता व भोग से है, जिसका उदाहरण निर्भया कांड, उन्नाव कांड, हैदराबाद जैसी घटनाएं आदि हैं। समाज को अपना नजरिया बदलना होगा जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और महिलाएं घर की चहारदीवारी से बाहर निकल पाएं अन्यथा वे चहारदीवारी में जकड़ दी जाएंगी। उसे एक इंसान के तौर पर नहीं देखा जाएगा, समाज में स्त्री का सम्मानजनक अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अतः यह जरूरी है कि हमारे चिन्तन में केवल महिलाओं को ही समाहित करने के बारे में नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति को समाहित करने वाली चेतना का विकास करें। स्त्री पुरुष के बीच के अंतर को खत्म करते हुए उसे इंसान के तौर पर देखना चाहिए, मानवता को बढ़ावा देना चाहिए न कि समाज द्वारा निर्मित लैंगिक भेदभाव अथवा लैंगिक विभेद को। समाज को तभी सुधारा जा सकता है जब इंसान के मन में सभी को सम्मान देने की चेतना पैदा होगी।

सन्दर्भ सूची

1. शर्मा, रेखा (2012) : दलित महिलाएं एवं मानवाधिकार, रावत प्रकाश, 4264/3 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 110002.
2. साधना आर्य, निवेदिता मेनन व जिनी लोकनीति (सम्पादक) (2015)– नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दें, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
3. सुमन, डॉ मंजू (2004) : दलित नारी एक विमर्श, सम्यक प्रकाशन, 32/2 क्लब रोड, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली।
4. कितना सच हुआ दलितों के लिए भीमराव अम्बेडकर का सपना–दा इंडियन वायर।
5. यादव, डॉ0 रवि प्रकाश (2012) : महिला एवं बालकों के विरूद्ध हिंसा।
6. डॉ0 मंजूलता (2004) : अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न; अर्जुन पब्लिशर्स हाउस, नई दिल्ली।
7. रावत, ज्ञानेन्द्र (2006) : औरत : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्व भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. दीक्षित, सोना कुमार अरूण (2004) : मानवाधिकार और महिलाए योजना पत्रिका, मार्च।
9. पटेल, अनिता (2002) : महिला उत्पीड़न का सिलसिला अब तक 'योजना, पत्रिका, जून।
10. पाण्डेय, तेजस्कर एवं पाण्डेय, संगीता (2012) : भारत में सामाजिक समस्यायें, टाआ मैक्ग्रा हिल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
11. जनसत्ता
12. www.ncrb.gov.in
13. www.mahilaayog.u.p.nic.in
14. www.who.int
15. www.undp.org
16. www.weforum.org
17. The Hindu

[8]. संगीता पाण्डेय एवं तेजस्कर पाण्डेयः भारत में सामाजिक समस्यायें, मैक्ग्रा हिल पब्लिकेशन, 2012, पृष्ठ संख्या–19.